न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र सं. 10/2022

राजस्थान सरकार जरिये रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

..............**प्रार्थी**

बनाम

1. हुसैन काठात पुत्र श्री इब्राहिम निवासी लसाडिया उपखण्ड ब्यावर

............**अप्रार्थीगण**

उपस्थित :— 1.श्री अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

आदेश

दिनांक 12.04.2023

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 24.2.2022 को अंकित पचार जिला रसद अधिकारी, अजमेर (द्वितीय) को सुबह 10.17 पर श्री चेत सिंह ए.एस. आई थाना सदर द्वारा दूरभाष पर सूचित किया गया कि थाना सदर के दल एवं उपअधीक्षक ब्यावर द्वारा ग्राम लसाडिया में हुसैन काठात के बाडे से पेट्रोलियम पदार्थ पकडा गया है जिसे ब्यावर सदर थाना लाया गया है सूचना मिलने पर जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन दल, प्रवर्तन अधिकारी रेणुका चतुर्वेदी एवं खान मोहम्मद खान प्रवर्तन निरीक्षक के साथ थाना सदर ब्यावर पहुँचे । थाने पर उपस्थिात श्री चेत सिह ए. एस.आई थाना सदर से पूछने पर उन्होने बताया कि मुताबिक इत्तला उप अधिक्षक के दिनांक 23.2.22 को लगभग सांय 5 बजे टीम लसाडिया स्थित हुसैन काठात के बाडे में पहुचे जहॉ उपअधीक्षक उपस्थित थे। बाडे में एक पिकअप में जिसका नंबर आर.जे. 14 जी.जे. 0825 था में दो ड्रम एवं नोजल मशीन रखी थी । एक ड्रम में पेट्रोलियम पदार्थ भरा था । बाडे में दो ट्रेलर, एक पिक–अप खाली, जमीन पर पडा एक जरीकेन (प्लास्टिक का) 50 लीo क्षमता का पडा था । जरीकेन खाली था । ट्रेलर के पास मोटर साइकिल भी खडी थी। दल द्वारा उक्त सभी सामान दिनांक 23.02.2022 को ही थाना सदर लाया गया । जिला रसद अधिकारी द्वारा मय प्रवर्तन दल थाना दिनांक 24.02.2022 को सदर ब्यावर पहुँच कर सामग्री का निरीक्षण किया गया । एक पिकअप में 1000 लीटर क्षमता के दो प्लास्टिक ड्रम में 700 लीo पेट्रोलियम पदार्थ भरा एवं एक नोजल मशीन रखे थे। नोजल मशीन से पाइप जुडा था । नियम विरूद्व पेट्रोलियम उत्पाद का भंडारण एवं व्यवसाय किया जाना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और विवरण का विनियम औरर अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानो का उल्लंघन है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्तशुदा दो प्लास्टिक ड्रम 1000 लीo की क्षमता वाले मय एक में 700 लीo पेट्रोलियम उत्पाद, एक नोजल मशीन पाइप, एक 50 लीo क्षमता का खाली प्लास्टिक जरीकेन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में राजसात हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर । पेरोकार सरकार ने सुनवाई हेतु निवेदन किए जाने पर पेरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 24.2.2022 को अंकित पचार जिला रसद अधिकारी, अजमेर (द्वितीय) को सुबह 10.17 पर श्री चेत सिंह ए.एस.आई थाना सदर द्वारा दूरभाष पर सूचित किया गया कि थाना सदर के दल एवं उपअधीक्षक ब्यावर द्वारा ग्राम लसाडिया में हुसैन काठात के बाडे से पेट्रोलियम पदार्थ पकडा गया है जिसे ब्यावर सदर थाना लाया गया है सूचना मिलने पर जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन दल, प्रवर्तन अधिकारी रेणुका चतुर्वेदी एवं खान मोहम्मद खान प्रवर्तन निरीक्षक के साथ थाना सदर ब्यावर पहुँचे । थाने पर उपस्थित श्री चेत सिह ए.एस.आई थाना सदर से पूछने पर उन्होने बताया कि मुताबिक इत्तला उप अधिक्षक के दिनांक 23.2.22 को लगभग सांय 5 बजे टीम लसाडिया स्थित हुसैन काठात के बाडे में पहुचे जहॉ उपअधीक्षक उपस्थित थे। बाडे में एक पिकअप में जिसका नंबर आर.जे. 14 जी.जे. 0825 था में दो ड्रम एवं नोजल मशीन रखी थी । एक ड्रम में पेट्रोलियम पदार्थ भरा था । बाडे में दो ट्रेलर, एक पिक–अप खाली, जमीन पर पडा एक जरीकेन (प्लास्टिक का) 50 ली0 क्षमता का पडा था । जरीकेन खाली था । ट्रेलर के पास मोटर साइकिल भी खडी थी। दल द्वारा उक्त सभी सामान दिनांक 23.02.2022 को ही थाना सदर लाया गया । जिला रसद अधिकारी द्वारा मय प्रवर्तन दल थाना दिनांक 24.02.2022 को सदर ब्यावर पहुँच कर सामग्री का निरीक्षण किया गया । एक पिकअप में 1000 लीटर क्षमता के दो प्लास्टिक ड्रम में 700 ली0 पेट्रोलियम पदार्थ भरा एवं एक नोजल मशीन रखे थे। नोजल मशीन से पाइप जुडा था । पिक अप संख्या आर.जे. 14 जी.जे 0825 था के पिकअप ड्राइवर हुसैन काठात ने बताया कि वो इस पिकअप का ड्राइवर है लेकिन पिक–अप कि आर.सी. एवं ड्राईविग लाइसेंस की प्रति ली गई। पिकअप ड्राइवर हुसैन काठात द्वारा बताया गया कि वो ये पेट्रोलियम पदार्थ 80 रूपये लीटर की दर से वाहनो में उपयोग हेतु विक्रय करता है । मौके से लाये गये दोनो ट्रेलर के ड्राइवर एवं पिकअप ट्राईवर से पृथक से बयान लिए गए । ड्राइवरो ने अपने बयान में बताया उन्होने कि हुसैन काठात के बाडे में खडी पिकअप से तेल नही भरवाया। ड्राइवर हुसैन काठात द्वारा अवैध रूप से पेट्रोलियम उत्पादो का भण्डारण / व्यवसाय करना पाया जाने के कारण जब्ती की कार्यवाही कर पिकअप संख्या आर.जे. 14 जी जे 0825 में भरे रखे प्लास्टिक ड्रम से पेट्रोलियम पदार्थो का सैम्पल नियमानुसार निर्धारित प्रकिया अनुसार वक्त जांच लिया गया । फर्द सैम्पल पृथक से लिखी गई। इस तरह यह स्थापित होने पर की हुसैन काठात द्वारा अपनी पिकअप में अवैध रूप से पेट्रोलियम उत्पाद बिना किसी वैध दस्तावेज/स्वीकृति के भण्डारित कर व्यवसाय करना पाया जाने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही कर पिक अप संख्या आरजे 14 जी जे 0825, दो प्लास्टिक ड्रम 1000 ली0 की क्षमता वाले मय एक में 700 ली0 पेट्रोलियम उत्पाद, एक नोजल मशीन मय पाइप एक 50 ली0 क्षमता का खाली प्लास्टिक जरीकेन कब्जे राज लेकर थाना सदर ब्यावर को सुपुदर्गी में दिये गये। नियम विरूद्व पेट्रोलियम उत्पाद का भंडारण एवं व्यवसाय किया जाना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और विवरण का विनियम औरर अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानो का उल्लंघन है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्तशुदा दो प्लास्टिक ड्रम 1000 ली0 की क्षमता वाले मय एक में 700 ली0 पेट्रोलियम उत्पाद, एक नोजल मशीन पाइप, एक 50 ली0 क्षमता का खाली प्लास्टिक जरीकेन को आवश्यक

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

वस्तु अधिनियम 1956 की धारा 6 ए के तहत राजसात तहत राजसात किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर ब्यावर मसूदा रोड ग्राम लसाडिया में हुसैन काठात के बाडे से दो प्लास्टिक ड्रम 1000 लीटर की क्षमता वाले मय एक में 700 ली0 पेट्रोलियम उत्पाद, एक नोजल मशीन मय पाइप, एक 50 लीटर क्षमता का खाली प्लास्टिक जरीकेन जांच दल द्वारा मौके पर बाद जॉच पाया कि प्रश्नगत परिसर में व्यवसायिक उपयोग हेतु निर्धारित पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग अनाधिकृत रूप से वाहनों में ईंधन के रूप में करने का व्यवसाय किया जडा रहा था। पेट्रोलियम का भण्डारण एवं अवैध कारोबार मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण विनियम और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की स्पष्ट अवेहलना पाये जाने पर मौके से जब्त शुदा दो प्लास्टिक ड्रम 1000 लीटर की क्षमता वाले मय एक में 700 ली0 पेट्रोलियम उत्पाद, एक नोजल मशीन मय पाइप, एक 50 लीटर क्षमता का खाली प्लास्टिक जरीकेन की जब्ती की कार्यवाही, की गई है। चूंकि अप्रार्थी द्वारा ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत के नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते। जिला रसद अधिकारी द्वारा वरवक्त जांच मौके पर पेट्रोलियम उत्पादों का अनाधिकृत रूप से भण्डारण एवं व्यवसाय किया जा रहा था। फर्द मौका एवं जब्ती, नजरी नक्शा, एवं मौके पर पाये गये दो प्लास्टिक ड्रम 1000 लीटर की क्षमता वाले मय एक में 700 ली0 पेट्रोलियम उत्पाद, एक नोजल मशीन मय पाइप, एक 50 लीटर क्षमता का खाली प्लास्टिक जरीकेन आदि सामग्री के पाये जाने से भी मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भण्डारण एवं कारोबार की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामग्री दो प्लास्टिक ड्रम 1000 लीटर की क्षमता वाले मय एक में 700 ली0 पेट्रोलियम उत्पाद, एक नोजल मशीन मय पाइप, एक 50 लीटर क्षमता का खाली प्लास्टिक जरीकेन को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.04.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर